राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@gmail.comवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक F.59.STP/DLB/सामान्य आदेश (862)/19/6341 दिनांकः–25/10/2019

आदेश

राज्य के समस्त नगरीय निकायों (नगर निगम/परिषद/पालिका) के क्षेत्र में स्थित भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 24.10.2019 अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–नविवि द्वारा जारी आदेश की प्रति।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक F.59.STP/DLB/सामान्य आदेश (862)/19/6342-6355 दिनांकः–25/10/2019

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं पदैन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एनसीआर, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
8. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
9. जोनल वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/एनसीआर।
10. उप नगर नियोजक, अलवर एवं भरतपुर।
11. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त
13. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

25/10/19
(रवि राय वर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक :– 24 OCT 2019

आदेश

भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के नियम 5 के अन्तर्गत नगर पालिका/नगर परिषद, नगर निगम, नगर विकास न्यास एवं जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण स्तरीय समितियां गठित हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (PIL) गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में प्रदत्त निर्देश दिनांक 12.01.2017 की अनुपालना में भू–उपयोग परिवर्तन वृहत जनहित में ही किये जाने हैं। उपरोक्त के क्रम में स्थानीय स्तर पर गठित समितियों को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

वृहत जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन आवश्यक होने पर संबंधित नगर पालिका/परिषद, नगर निगम, नगर विकास न्यास, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में निर्णयार्थ प्रेषित किया जावेगा। राज्य स्तरीय समिति के निर्णय एवं विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात ही संबंधित नगरीय निकाय द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अंतिम आदेश जारी किया जावेगा।

संबंधित नगरीय निकाय द्वारा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में प्रकरण प्रेषित करते समय आवश्यक सूचना नियमानुसार निर्धारित चैक लिस्ट में मय आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, नगरीय निकाय की भू–उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्य एवं निकाय/न्यास/प्राधिकरण स्तरीय कमेटी की स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रेषित की जावेगी। इसके साथ ही मौके की स्थिति यथा विद्यमान पहुंच मार्ग की चौडाई एवं मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित चौडाई की सूचना स्पष्ट रूप से प्रेषित की जावे तथा क्षेत्र का नवीनतम रंगीन गूगल मैप भी संलग्न किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. एम्पैनल्ड आर्किटैक्ट समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय